

राजस्थान राजकार  
राजमान्य प्रशासन (मृप-2) विभाग

क्रमांक एफ. ३११/साप्र / २/ २०१२

जयपुर, दिनांक १७ JUL 2012

-आदेश-

निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरिष्ठतानुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अकित राजकीय सांवाद उनके विवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते

क्र.सं	वरिष्ठता सं.	नाम व पद	आवंटित/परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	33/07	डॉ० दिनेश कुमार गोतम चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गा/89 गांधीनगर	31.1.2035
2.	128/29	श्री काशीराम विधि सहायक श्रम आयुक्त, शातिनगर, हजानपुरा, जयपुर	गा/18 गांधीनगर (गा/69 के स्थान पर)	31.1.2020
3.	131/09	श्री केशराम सैनी, प्रयक्ता प्रोडक्शन, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय रामकर्म खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	गा/32 गांधीनगर	30.6.2041
4.	132/09	डॉ० धर्मवीर यादव विशिष्ट प्रदर्शक, जीव रसायन विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।	गा/96 गांधीनगर	31.3.2039
5.	13/2011	श्री जगदीश प्रसाद मीना आर.पी.एस. सहायक कमाडेन्ट ५वीं बल्लियन, आर.ए.सी., घाटगोट, जयपुर (सीतिंग निर्णय अनुसार)	गा/116 एवीएस गांधीनगर	31.7.2018
6.	31/2011	श्री कैलाज विहारी माथूर कृषि विवेषक, कायीलय संयुक्त निदेशक कृषि (पौध खाद्य) हुगोपुरा, जयपुर	15/41 मालवीयनगर (15/47 के स्थान पर)	31.8.2015
7.	26/2012	डॉ० गणेश कुमार शर्मा रेजीडेंट मीरक देवोलोजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	८-13 जवाहरनगर	31.5.2040
8.	45/2012	डॉ० सरोज लता विशिष्ट प्रदर्शक (शरीर रक्त विज्ञान विभाग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	15/71 मालवीयनगर	28.2.2035
9.	57/2012	डॉ० ललित कुमार चौधरी मेडिल ऑफिसर सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय, जयपुर	८-99 जवाहरनगर	30.11.2041
10.	66/2012	सुश्री जयरत्न टाटावत सहायक अधिकारी सवाईजानकी नीर्माण विभाग, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 34 विद्याधरनगर (जीए/गा/टी-2/ /90 के स्थान पर)	31.5.2047
11.	70/2012	श्री सतोष कुमार स्वामी विशिष्ट नियोजी सहायक इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 16 विद्याधरनगर	30.6.2019
12.	71/2012	डॉ० जितेन्द्र कुमार देवडा मेडिकल ऑफिसर (मेडिसन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 27 विद्याधरनगर	28.2.2035
13.	72/2012	श्री रोमेश्वर देवडा सहायक निदेशक (मोनिटरिंग) महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 28 विद्याधरनगर	31.7.2037


14.	75 / 2012	श्री दिनेश कुमार आरएसी.एस (प्रशिक्षु) राजस्थान लेखा सेवा वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माधुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 31 विद्याधरनगर	30.11.2045
15.	76 / 2012	श्री अनिल कुमार जगरवाल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी (ब' क्षेत्र) जयपुर आयुर्वेद विभाग, जयपुर।	जीए/गा/टी-2/ 38 विद्याधरनगर	30.4.2041
16.	77 / 2012	डॉ विरेन्द्र कुमार सिनियर मेडिकल ॲफिसर (मेडिसन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 46 विद्याधरनगर	30.11.2039
17.	79 / 2012	श्री हरि ओम शर्मा जिला सांखियकी अधिकारी आर्थिक एवं सांखियकी निदेशालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 56 विद्याधरनगर	31.5.2039
18.	82 / 2012	श्री रजनीश बैरवा सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर उप खण्ड 12 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 60 विद्याधरनगर	30.6.2044
19.	83 / 2012	श्री प्रेम कुमार पटेल लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माधुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 63 विद्याधरनगर	30.6.2042
20.	85 / 2012	श्री राकेश कुमार मीना सहायक निदेशक, सच्च बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग सचिवालय, जयपुर।	जीए/गा/टी-2/ 83 विद्याधरनगर	30.6.2040
21.	90 / 2012	श्री रमेश निर्मल नरसं गंड प्रथम राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 91 विद्याधरनगर	31.10.2023
22.	91 / 2012	श्रीमती नीतू रस्तोगी वरिष्ठ अध्यापिका (अग्रेजी) राजकीय बालिका डच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाला, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 105 विद्याधरनगर	31.10.2031
23.	92 / 2012	श्री दिनेश कुमार राजस्थान लेखा सेवा प्रशिक्षु आर.ए.सी.एस. वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माधुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 123 विद्याधरनगर	30.11.2045
24.	93 / 2012	डॉ (श्रीमती) विनिता गोखरा चिकित्सा अधिकारी राजकीय कावटिया अस्पताल, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 124 विद्याधरनगर	31.3.2032

शर्तः-

- आदास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस से लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रवते निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आदास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारणा और बस्तूली नियम, 1958 के अन्तर्गत सच्च राजकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बस्तूला होंगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह मौसूल आदास रिकल करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानातरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा। तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात उदास रिकल करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/ बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आदास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चौंके उक्त अधिकारी को राजकीय आदास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आदास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसार मैं आदेश प्रसारित होने के आदास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्थीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह दी समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मलान किशाया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व सबधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवैया/पत्ति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदरयों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्भित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -5 पर अंकित श्री जगदीश प्रसाद भीना से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) रीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आड़ा से

  
(मनोहर लाल वेरमा)  
शासन सहायक सचिव

01(1Web.)

24-7-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, श्रम विभाग, शांति नगर, हसनपुरा, जयपुर।
10. प्राचार्य, रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
11. कमाण्डेन्ट, 5वीं बटालियन, आर.ए.सी., घाटगेट, जयपुर।
12. संपुक्त निदेशक, दूषि पौध व्याधि, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, एवं तकनीकी सहायक—, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. सचिव, इन्द्रा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
16. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
17. शासन उप सचिव, वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग, जयपुर।
18. जिला आयुर्वेद अधिकारी, 'ब' क्षेत्र आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
19. निदेशक, आर्थिक एवं सार्थिक विभाग, आयोजना भवन, जयपुर।
20. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, मुरश्यालय, जयपुर।
21. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, जयपुर।
22. अधीक्षक, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
23. प्रधानाचार्य, राजकीय वालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाडा, जयपुर।
24. अधीक्षक, राजकीय कावटिया अस्पताल, शास्त्रीनगर, जयपुर।
25. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवेदन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
26. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियानिकी/जयपुर विडिओनिगम लिंग गांधीनगर/बावाहरनगर/मालवीयनगर/विद्यावाहरनगर, जयपुर।
27. प्रबन्ध निदेशक, राजकोम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
28. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
29. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
30. श्री काशीराम, विधि सहायक, श्रम आयुक्त, शास्त्रीनगर, हसनपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित राजकीय आवास संख्या 10/18, गांधीनगर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या 10/69, गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
31. श्री कैलाश बिहारी गाथूर, कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) दुर्गापुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित राजकीय आवास संख्या 10/41, मालवीयनगर, जयपुर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या 10/47, मालवीयनगर, जयपुर रिक्त कर सूचित करावें।

३२. श्री लग्नाराजका विभाग, नियम अ. नियमित नियम, विभागीय विभाग संसदीय विभाग के द्वारा दिए गए
- प्रथम जयपुर को भेजकर लेख है कि यांचोत्तर राजकीय आवास संसदीय विभाग २/३४ विभागीय विभाग के नियमित अधिकार में कल्पा दिए गये तावित राजकीय आवास विभाग २/१० विभाग के द्वारा करावे।
३३. निदेशक, उपान विज्ञ. रावजनिक नियम विभाग, जयपुर।
३४. संवर्धित अधिकारिय।
३५. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-५) विभाग।
३६. निजी सचिव, प्रगुख शासन सचिव, रामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
३७. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-२) विभाग।
३८. रक्षित पत्रावली।



(म.मुल देव)

शासन सहायक सचिव